छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
(मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर – 492002)
Tele : 0771-2512121, Fax : 2512122, website : www.cghb.gov.in, email : cghbho@gmail.com

क्र.753 / आयुक्त / एफ –224 नवा रायपुर, दिनांक 05/06/2026

प्रति,

कलेक्टर
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषयः– नेहरू नगर, बिलासपुर में मण्डल द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन को मोहम्मद अली पिता रमजान अली निवासी कुदुदण्ड तह. व जिला बिलासपुर द्वारा अवैध रूप से तोड़ने / क्षतिग्रस्त करने के संबंध मे।

संदर्भः– अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र – बिलासपुर का पत्र क्रमांक 303 दिनांक 03.06.2026

––– 000 –––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र मय प्रतिवेदन का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसमें मण्डल द्वारा विकसित कॉलोनी नेहरू नगर, बिलासपुर में मण्डल के स्वामित्व की भूमि पर वर्षों पूर्व निर्मित सामुदायिक भवन को मोहम्मद अली पिता रमजान अली निवासी कुदुदण्ड तह. व जिला बिलासपुर द्वारा अवैध रूप से तोड़ने / क्षतिग्रस्त किया गया है। प्रकरण के प्रमुख बिंदुओं निम्नानुसार है :–

civilindia.in

- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, संभाग बिलासपुर द्वारा नेहरू नगर आवासीय योजना का विकास किया गया है। योजना हेतु 14.55 एकड़ भूमि दिनांक 01.04.1966 को बिलासपुर गृह निर्माण सहकारी समिति से विक्रय विलेख (Sale Deed) के माध्यम से तथा 8.31 एकड़ भूमि शासन से अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त की गई थी।

- भूमि पर अभिन्यास (Layout) अनुमोदन दिनांक 20.03.1967 के पश्चात सामान्य आवास योजना अंतर्गत 374 भूखण्डों पर विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण किया गया।

- नेहरू नगर स्थित सामुदायिक भवन मंडल की स्वामित्वाधीन संपत्ति है, जिसका उन्नयन एवं विस्तार वर्ष 2008 एवं 2017 में लगभग रू. 40 लाख की लागत से कराया गया। सामुदायिक भवन का स्वामित्व, संचालन एवं संधारण आज भी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के अधीन है।

- आरोप है कि दिनांक 02.06.2026 को उक्त सामुदायिक भवन को मोहम्मद अली पिता रमजान अली, निवासी कुदुदण्ड, तहसील एवं जिला बिलासपुर द्वारा अवैध रूप से तोड़ा गया / क्षतिग्रस्त किया गया, जिससे मण्डल की संपत्ति को हानि पहुंची। **प्रकरण का मुख्य बिन्दु सामुदायिक भवन को पहुंचाई गई क्षति के संबंध में है।**

क्रमशः02

- मण्डल की संपत्ति को अवैध रूप से तोड़–फोड़/क्षतिग्रस्त की सूचना मिलने पर मण्डल के अधिकारियों द्वारा दिनांक 02.06.2026 को घटनास्थल पर पहुंचे एवं स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राज शर्मा, श्री सुनील मिश्रा एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा सामुदायिक भवन को तोड़ा जा रहा था, जिसे मण्डल के अधिकारियों द्वारा तत्काल रोकने का प्रयास किया गया।

- संबंधित व्यक्तियों ने बताया कि वे **सिटी मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के आदेश दिनांक 24.11.2025** के आधार पर मोहम्मद अली पिता रमजान अली एवं बेगम फातिमा के निर्देशानुसार उक्त तोड़–फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं।

  बिलासपुर सिटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा की गई कार्यवाही में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

- राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि उक्त भूमि मध्यप्रदेश हाउसिंग सोसायटी, भोपाल (वर्तमान छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड) द्वारा आवेदक के पक्ष में विक्रय की गई थी। जबकि सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त विक्रय विलेख के अनुसार भूमि रमजान अली द्वारा श्री आर.पी. शुक्ला, सचिव, मानसेवी गृह निर्माण समिति, भोपाल (म.प्र.) से क्रय की गई थी।

  राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं उपलब्ध विक्रय दस्तावेजों में उपरोक्त वर्णित तथ्यों में स्पष्ट विरोधाभास पाया गया। मानसेवी गृह निर्माण समिति, मध्यप्रदेश हाउसिंग सोसायटी एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को एक ही संस्था के रूप में दर्शाते हुए भ्रामक एवं संदिग्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे कूटरचना की आशंका उत्पन्न होती है।

- मण्डल के अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर सामुदायिक भवन में की जा रही अवैध तोड़फोड़ को तत्काल रोका गया। घटना की सूचना तत्काल कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर एवं थाना प्रभारी सिविल लाइन, बिलासपुर को देकर दोषियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने का अनुरोध किया गया।

- मण्डल की कड़ी आपत्ति एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा दिनांक 02.06.2026 को पूर्व जारी आदेश दिनांक 24.11.2025 पर स्थगन आदेश जारी किया गया।

- थाना सिविल लाइन, बिलासपुर द्वारा दिनांक 02.06.2026 को सूचना आवेदन की पावती प्रदान की गई। मण्डल की पहल पर मोहम्मद अली पिता रमजान अली निवासी कुदुदण्ड, बिलासपुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0761/2026 दिनांक 02.06.2026 को एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

क्रमशः03

civilindia.in

- अवगत हो कि मोहम्मद अली (आरोपी व्यक्ति) द्वारा न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार–2, बिलासपुर में विषायंकित भूमि के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तद्संबंध में प्रकरण क्रमांक 202206072500116/अ–70/2021–22 में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार –2, बिलासपुर के राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र में उल्लेखानुसार छ.ग. गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित कॉलोनी में गार्डन एवं सामुदायिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य किया जाता है। मण्डल द्वारा कभी भी अवैधानिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य नहीं किया जाता है।

    न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार–2, बिलासपुर द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि "अनावेदक/आपत्तिकर्ता मोहम्मद अली के संबंध में सीमांकन प्रतिवेदन/पंचनामा में आवेदक के कब्जा संबंधित उल्लेखित नहीं है व नक्शा बटांकन नहीं है।" आवेदक की आपत्ति अस्वीकार करते हुए प्रकरण खारिज किया गया।

- बिलासपुर के संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा मण्डल का पक्ष सुने बिना एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने के परिणामस्वरूप मण्डल की संपत्ति को क्षति पहुंची तथा मण्डल को वित्तीय हानि हुई है।

कृपया उपरोक्त प्रकरण में मण्डल के संपत्ति को क्षति एवं असंवैधानिक कृत्य करने वाले अधिकारियों एवं व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

- उक्त प्रकरण में बिलासपुर के संबंधित राजस्व अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय जाँच/वैधानिक कार्यवाही की जाए।
- उक्त प्रकरण में कूटरचित अथवा भ्रामक दस्तावेज तैयार किए जाने के आरोपों की सक्षम स्तर पर जांच एवं कानुनी कार्यवाही कराई जाए।
- मण्डल की संपत्ति को हुई लगभग रू. 80.00 लाख की क्षति की वसूली दोषी व्यक्तियों से की जाए।

संलग्न :– संदर्भित पत्र मय प्रतिवेदन की छायाप्रति।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर

civilindia.in

पृ.क्र.७५५/आयुक्त नवा रायपुर, दिनांक 05/06/2026

प्रतिलिपिः–

1. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर **की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
2. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर **की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
3. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर **की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**
4. **अपर आयुक्त,** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र–बिलासपुर **की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं
अधोसंरचना विकास मण्डल
मुख्यालय, नवा रायपुर

civilindia.in